

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/7095

दिनांक - 29/08/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 फुसाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी पूर्णनगर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।		1 पूर्णाराम पुत्र तेजाराम 2 हरुराम पुत्र रूपाराम 3 खेताराम 4 धनाराम पिसरान ईसराराम 5 मगाराम पुत्र उत्तमाराम 6 चुनी देवी पत्नि जेताराम 7 भैराराम पुत्र जेताराम 8 पारू देवी पत्नि खेताराम 9 टीकमचंद 10 रामलाल पिसरान खेताराम (प्रार्थी संख्या 9 व 10 नाबालिग जरिये वली माता प्रार्थी संख्या 8 पारू देवी) जाति जाट निवासी पूर्ण नगर 11 अणदाराम पुत्र शेराराम 12 मीरो पत्नि अणदाराम 13 स्वरूपा 14 कंवराराम पिसरान मगाराम 15 कानाराम पुत्र शेराराम 16 गंगाराम पुत्र रेखाराम 17 पदमाराम 18 दुर्गाराम पिसरान कानाराम 19 मगाराम पुत्र शेराराम 20 मूलचंद पुत्र कानाराम 21 चिमाराम पुत्र पुर्णाराम 22 पुराराम पुत्र चेनारम 23 रामाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चौखाणियो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-134/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूर्ण नगर हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 296 रकबा 0.0971 हैक्टर, खसरा संख्या 714/405 रकबा 2.2662 हैक्टर व खसरा संख्या 715/405 रकबा 24.2164 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/7096-7099

दिनांक- 29/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी फुसाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी पूर्णनगर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पूर्णाराम पुत्र तेजाराम वगैराह जाति जाट निवासी पूर्णनगर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर